

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 3810/2018
URN: CRLMP / 5848U / 2018

Roshan Lal Goyal S/o Late Sh. Chirangi Lal Goyal

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5263/2019
URN: CRLMP / 9691U / 2019

Vikas Goyal S/o Shri Roshan Lal Goyal

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dharmendra Kumar Gupta Mr. Ghanshyam Das Bansal
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Gupta, P.P.

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

29/06/2026

अयाची संख्या-1/राजस्थान राज्य की ओर से एक प्रार्थना पत्र आई0ए0 संख्या-01/2021, अंतरिम सुरक्षा आदेश दिनांकित 13.07.2018 को समाप्त करने के संबंध प्रस्तुत किया गया।

उनका निवेदन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 240/2018 पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर की समस्त कार्यवाही को पूर्व में स्थगित किया गया था। प्रकरण लम्बे समय से लम्बित है तथा इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित होने के कारण प्रकरण में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही है।

प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों को सुना गया।

प्रकरण की समस्त परिस्थितियों को देखते हुए याचीगण रोशनलाल गोयल व विकास गोयल को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 24.07.2026 को या इससे पूर्व अनुसंधान अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।

अनुसंधान अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे याचीगण रोशनलाल गोयल व विकास गोयल से अनुसंधान करते हुए पूर्ण तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करें।

पत्रावली दिनांक 31.07.2026 को सूचीबद्ध की जावे। तब तक याचीगण रोशनलाल गोयल व विकास गोयल को प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 240/2018 पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर में गिरफ्तार नहीं किया जावे।

आदेश दिनांक 13.07.2018 को संशोधित करते हुए प्रार्थनापत्र इसी अनुसार निस्तारित किया जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J